

**रक्षा मंत्रालय**  
**संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ का कार्यालय**

**सशस्त्र सेना मुख्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक संगठन की प्रबंधन समिति**  
**का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु गठन**

सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों के निम्न तालिका में नामित कार्मिकों को इस पत्र के जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए सशस्त्र सेना मुख्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रबंधन समिति के सदस्य व संबंधित खेल विधा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है:

क्र सं	नाम एवं पद (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	विधा	कार्यालय
i.	टी के रावत, निजी सचिव	एथलेटिक्स	लेखा निदेशालय, पश्चिमी खण्ड – VI, वायु सेना मुख्यालय, आर के पुरम
ii.	राकेश कुमार, वरि सचि सहा	बेडमिन्टन	डीआरडीओ मुख्यालय
iii.	अश्विनी कुमार, सहा अनु अधि	बास्केटबाल	फोटो डिव/डीपीआर
iv.	विजयेंद्र कुमार सिंह, सहा अनु अधि	कैरम	ई-इन-सी ब्रांच, कश्मीर हाऊस
v.	राजेश कुमार, उप निदे (राजभाषा)	शतरंज	जेसीबी, डीआरडीओ
vi.	जगदीश चंद्र, वरि सचि सहा	क्रिकेट (मुख्य)	मुप्रअ/सीटीएच
vii.	योगेन्द्र कुमार वरि सचि सहा	क्रिकेट (वैटरन)	डीजीक्यूए/आरएमओ/सीपीसी
viii.	रविन्द्र सिंह, सहा अनु अधि	फुटबाल	एमजीओ ब्रांच/ईएमई-(आरएस)
ix.	सतीश कुमार, बहुकार्य कर्मचारी	कबड्डी	डीजीडीएस, एजी ब्रांच
x.	शुभम, कनि सचि सहा	लान टैनिंस	डीजीक्यूए/एडम/आरएमडी (सीडब्ल्यू), कश्मीर हाऊस
xi.	शील कुमार गौतम, बहुकार्य कर्मचारी (स्वागत कक्ष)	पावर लिफ्टिंग /वेट लिफ्टिंग	'जी' ब्लॉक, सुरक्षा कार्यालय
xii.	कपिल दहिया, वरि सचि सहा	शूटिंग बाल	ओएस-10, एमजीओ ब्रांच
xiii.	राजेश, बहुकार्य कर्मचारी	तैराकी	मुप्रअ/एमडीडीएस
xiv.	विकास भारती, अनु अधिकारी	टेबल टैनिंस	ई-इन-सी ब्रांच
xv.	धर्म सिंह, अनु अधि	वालीबाल	क्यू मूव (एअर), डी-2 विंग, सेना भवन,
xvi.	संजय कुमार, जेआरओ	कुश्ती	'ए' विंग, सेना भवन स्वागत कक्ष
xvii.	प्रदीप कुमार खन्ना, सहा अनु अधि	सांस्कृतिक	डीजीक्यूए/एडम-10



2. समस्त पदमुक्त संयोजकों से आग्रह है कि वे खेल दलों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए दिए गए खेल उपकरणों/सामग्रियों को नवनियुक्त संयोजकों को सौंप दें तथा इस कार्यालय को इस संबंध में लिखित रूप से सूचित करें।
3. संयोजकों द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।
4. यह पत्र निदेशक (अनुसक एवं प्रशि)) की स्वीकृति से जारी किया गया है।

  
(आर के भोंसले)

उप निदेशक (कल्याण एवं राजभाषा)

संलग्नक: यथोपरि

समस्त नवनियुक्त एवं पदमुक्त संयोजक  
केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड  
रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय(थलसेना)/अंतर सेवा संगठनों के समस्त समन्वय अनुभाग  
रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), प्रशा निदेशालय (असैनिक)  
वायु सेना मुख्यालय(पीसी समन्वय)  
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय  
मु प्र अ कार्यालय के समस्त अनुभाग  
समस्त मान्यता प्राप्त एसोशिएसन  
सशस्त्र सेना मुख्यालय के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के समस्त संयोजक

संस एवं मुप्रअ कार्यालय की अंप्रे सं ए/98195/संयोजक/मुप्रअ/कल्याण दिनांक 14 सितम्बर 2020  
प्रतिलिपि:-

संस एवं मुप्रअ के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव  
निदेशक(मानव संसाधन) के निजी सचिव  
निदेशक(संपदा एवं प्रशासन) के निजी सचिव  
निदेशक के निजी सहायक (विशेष परियोजना एवं कार्य)  
के निजी सहायक (अनुसक एवं प्रशि) निदेशक  
मुप्रअ/ईडीपी - मुप्रअ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



**सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों**  
**की क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संयोजकों के कर्तव्य एवं दायित्व**

संयोजक अंतर मंत्रालय व अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं के लिए सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठन संवर्ग के कर्मचारियों में से खिलाड़ियों का चयन व प्रतियोगिताओं में खेल दल का संचालन करेंगे। संयोजक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चयनित खिलाड़ियों/कलाकारों के नाम रक्षा मंत्रालय/कल्याण द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड को भेजी जाने वाली प्रविष्टि में शामिल करने हेतु समय से भेजे जाएं।

2. संयोजक खिलाड़ियों/कलाकारों के चयन हेतु केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा जारी खेल पंचाग में दर्शाई गई तिथियों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों/कलाकारों के चयन हेतु सशस्त्र सेना मुख्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं/चयन परीक्षण आयोजित करेंगे।

3. संयोजक चयनित खिलाड़ियों के नामों की सूची इस कार्यालय को चयन प्रक्रिया की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएंगे। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन की रिपोर्ट प्रतियोगिताओं के समापन के तुरंत बाद इस कार्यालय को सौंपेंगे। वर्ष के अंत में खिलाड़ियों/कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विशेषतः अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता/दिल्ली राज्य प्रतियोगिताओं का उल्लेख करते हुए किए गए प्रदर्शन की रिपोर्ट भी इस कार्यालय को सौंपेंगे।

4. संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यास हेतु कार्यालयों द्वारा छोड़े गए कर्मचारी अभ्यास सत्रों में नियमित रूप से उपस्थित रहें। बगैर किसी वैध कारण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सूचना इस कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएंगे।

5. संयोजक अंतर मंत्रालय प्रतियोगिताओं के समापन के उपरांत एक सप्ताह के भीतर प्रतियोगिताओं में होने वाले व्यय का ब्यौरा इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। संयोजक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु चुने गए खिलाड़ी केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों के अधिकृत कर्मचारी ही हों।

6. संयोजक खेल सामग्री/उपकरणों व पोशाकों की मांग हर वर्ष 31 मार्च से पहले इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

